

कार्यालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, देवास (मोप्र०)

-::- खुली निविदा विज्ञप्ति-::-

निविदा जारी करने का दिनांक - १४/०८/२०२२


कार्यालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश देवास स्थापना के उपयोग हेतु इनवर्टर ट्रांसफॉर्मर बैटरी क्य किया जाना है, जिसका विवरण निम्नानुसार है :-

क्र.	सामग्री का विवरण	संभावित संख्या / नग
1	इनवर्टर ट्रांसफॉर्मर बैटरी (एक्साईड कंपनी, एमरान कंपनी या समकक्ष कंपनी) 150 एएच कम से कम 36 माह वारंटी पुरानी बैटरी के बॉयबेक मूल्य के साथ	20

उक्त इनवर्टर ट्रांसफॉर्मर बैटरी क्य किये जाने हेतु बैटरी विक्रेताओं से निविदा आमंत्रित की जाती है।

इच्छुक बैटरी विक्रेता, कार्यालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश देवास के कार्यालयीन समय में निविदा के संबंध में पूर्ण जानकारी प्राप्त कर दिनांक १४/०८/२०२२ के साथ ५ बज तक बंद लिफाफे में "कार्यालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश देवास" के नाम आवक-जावक अनुभाग में निविदा (कोटेशन)मय केटलॉग सहित तथा जी.एस.टी. का पृथक से उल्लेख करते हुये प्रस्तुत कर सकते हैं।

निर्धारित दिनांक एवं समय के पश्चात प्राप्त निविदाओं/कोटेशनों पर विचार नहीं किया जावेगा।



(प्रभात कुमार मिश्रा)

प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
देवास


कार्यालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, देवास
//निविदा शर्त//

क. 2492/2022

देवास, दिनांक

1. फर्म का वाणिज्यिक कर विभाग में पंजीयन होने का जीवित प्रमाण-पत्र की प्रमाणित छायाप्रति तथा आयकर रिटर्न की प्रमाणित छायाप्रति निविदा के साथ प्रस्तुत की जावेगी।
2. सभी प्रकार के करों व कर्य मूल्य का खुलासा तथा सकल योग स्पष्ट रूप से निविदा में किया जावे।
3. कर्य की गई सामग्री की आपूर्ति एवं इंस्टालेशन जिला मुख्यालय देवास अथवा तहसील न्यायालयों सोनकच्छ, बागली, टोंकखुर्द, कन्नौद, खातेगांव में किया जावेगा। उक्त संबंध में आपूर्ति किये जाने संबंधी कोई परिवहन व्यय (भाड़ा) नहीं दिया जावेगा।
4. कर्य की गई सामग्री को 01 वर्ष की वारंटी पीरियड सहित मरम्मत कार्य मौके पर (ऑनसाईट जिला न्यायालय देवास अथवा तहसील न्यायालयों सोनकच्छ, बागली, टोंकखुर्द, कन्नौद, खातेगांव) में जाकर संबंधित फर्म द्वारा किया जावेगा।
5. सामग्री इन्स्टॉलेशन उपरांत ही बिल ग्राह्य किया जावेगा।
6. मांग का आदेश करने से एक सप्ताह के अंदर सामग्री की प्रदायगी व इंस्टालेशन सुनिश्चित करना होगा अन्यथा कर्य की सामग्री के लिये मांग का आदेश निरस्त किया जा सकेगा।
7. नियंत्राधिकारी प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश उक्त निविदा में विवाद के अंतिम निर्णयिक होंगे।
8. प्रशासकीय कारणों से उक्त निविदा किसी भी समय व किसी भी प्रक्रम पर प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश देवास के आदेश से निरस्त की जा सकेगी।
9. उपरोक्त सामग्री के कर्य की संख्या कम किये जाने अथवा बढ़ाये जाने का अधिकार प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश देवास को होगा।
10. कर्य की जाने वाली सामग्री प्रदायगी उपरांत विभागीय कर्य समिति द्वारा निविदा अनुरूप गुणवत्ता एवं निर्धारित मानक अनुसार पाये जाने पर प्रतिवेदन प्राप्त होने पर ही देयक के भुगतान की कार्यवाही की जावेगी अन्यथा कर्य की गई सामग्री अमानक पाये जाने पर मूलतः विक्रेता के व्यय पर वापस की जावेगी।
11. जो फर्म मध्यप्रदेश लघु उद्योग निगम में पंजीकृत प्रदायकर्ता के रूप में पंजीकृत हैं, उन्हें पंजीयन संबंधी प्रमाण-पत्र संलग्न किया जाना आवश्यक है।

संलग्न:- निविदा फार्म


(प्रभात कुमार मिश्रा)
प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
देवास

कार्यालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, देवास

::निविदा आवेदन—पत्र::

क्र.		
01	विक्रेता/व्यापारी/निर्माता संस्था का नाम एवं पता	
02	दूरभाष नंबर/मोबाईल नंबर	
03	विक्रेता/व्यापारी/निर्माता संस्था के मालिक का नाम	
04	विक्रेता/व्यापारी/निर्माता संस्था का पंजी/जी.एस.टी. क्रमांक	
05	क्या विक्रेता/व्यापारी/निर्माता संस्था सागर की अधिकृत संस्था है ? यदि हॉ तो विवरण दें।	
06	यदि अधिकृत विक्रेता/व्यापारी/निर्माता संस्था हो तो प्रमाण—पत्र की छायाप्रति संलग्न करें।	
07	क्या शासन ने विक्रेता/व्यापारी/निर्माता संस्था को सामग्री प्रदान किये जाने हेतु अयोग्य घोषित किया गया है ? यदि हॉ तो विवरण दें।	
08	विक्रेता/व्यापारी/निर्माता संस्था का बैंक का नाम/खाता क्रमांक मय आई.एफ.एस.सी. कोड सहित	
09	<p>वित्तीय प्रस्ताव :-</p> <p>ए. इनवर्टर बैटरी का मॉडल निर्माण वर्ष</p> <p>बी. प्रति नग राशि</p> <p>सी.. जी.एस.टी.</p> <p>डी. प्रतिनग कुल राशि रुपये</p> <p>इ. पुरानी बैटरी का स्क्रेप मूल्य</p> <p>एफ. शुद्ध राशि</p>	

आवेदक का नाम व हस्ताक्षर